उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–01
संख्या– 385/I-1/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740)
देहरादून : दिनांक : 13 मार्च 2023

अधिसूचना

"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" नाम से प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासी जो कोविड–19 के कारण राज्य वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी 2021 के माध्यम से प्रदेश में 20/25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु योजना प्रभावी की गयी है। योजनार्न्गत चयनित लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा संचालित MSY योजना (मुख्यमंत्री स्वरोजनगार योजना) के अर्न्तगत अनुमन्य सभी लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

विभिन्न कारणों से योजना में होने वाली शुद्व आय की कमी के कारण योजनान्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना किये जाने हेतु प्रदेश के निवासियों द्वारा अधिक रूचि नहीं ली जा रही है जिस कारण योजना को वित्तीय एवं भौतिक रूप से व्यावहारिक बनाये जाने हेतु योजना में संशोधन एवं अद्यतन किये जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

अतः उक्त औचित्य से योजना को अधिक प्रभावी किये जाने हेतु तथा प्रदेश में स्वरोजगार/उद्यमिता विकास के साथ–साथ सौर ऊर्जा के विकास के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. **योजना का विवरण :–**

1. योजनान्तर्गत 20/25 कि0वा0 के स्थान पर वर्तमान में 20/25/50/100/200 कि0वा0 क्षमता की परियोजनाऐं स्थापित की जायेगी।
2. इस योजना के अर्न्तगत चयनित लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रभावी MSME पॉलिसी/योजना के अर्न्तगत अनुमन्य सभी लाभ प्रदान किये जायेंगे।
3. इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थाई निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
4. इस योजना के अर्न्तगत investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल मे Single Window System के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त किये जायेंगें।
5. योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जायेगा तथा यू0पी0सी0एल0, उद्योग/एम0एस0एम0ई0 एवं उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी, बैंकों द्वारा सहयोगी संस्थाओं के रूप में कार्य किया जायेगा।

/105650/2023

6. इस योजना के अन्तर्गत कुल 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसमें वर्षवार लक्ष्य एम0एस0एम0ई0 एवं वित विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।

2 <u>"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु पात्रता</u> :–

1. इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के **18 वर्ष से अधिक आयु के उद्यमशील युवक**/युवतियाँ, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
3. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, (जिसमें क्षमता 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 में से किसी भी क्षमता के 01 ही संयंत्र को संज्ञान में लेते हुये पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा), जिस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जायेगा कि सम्बन्धित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है। यद्यपि परिस्थितिनुसार उरेडा अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोंपरांत एक ही परिवार को अतिरिक्त आंवटन पर विचार किया जा सकता है। यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता हैं तो उरेडा द्वारा आवेदन/आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्योरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी। **इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 697/I-1/20220-03/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना पात्रता के लाभार्थी/आवंटी भी नये प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।**

3. <u>"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु तकनीकी मानक</u> :–

1. पूर्व प्रावधानों के अतिरिक्त 50 किलोवॉट की क्षमता के सोलर प्लांट हेतु 750–1000 वर्ग मीटर, 100 कि0वॉ0 क्षमता हेतु 1500–2000 वर्ग मीटर एवं 200 कि0वॉ0 हेतु 3000–4000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी।
2. 50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के संयत्र की स्थापना पर लगभग 50 हजार प्रति कि0वॉ0 की दर से कुल 25/50/100 लाख का व्यय अनुमानित है। उक्त प्रति कि0वा0 दरें 20/25 कि0वॉ0 के नये संयत्रों हेतु भी अनुमन्य होंगी।
3. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में धूप की उपलब्धता के आधार पर योजना के पूर्व प्रावधानों के अतिरिक्त 50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वा0 की दर से कुल 76000/152000/304000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।
4. इस योजना के अर्न्तगत स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित विद्युत को मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर यू0पी0सी0एल0 द्वारा अनुमनय 25 वर्ष की अवधि हेतु क्रय किया जायेगा, जिस हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी/आवंटी के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) सुनिश्चित किया

जायेगा। **इस योजना के अन्तर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा किये गये विद्युत क्रय का भुगतान यू0पी0सी0एल0 द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा, जिस हेतु यू0पी0सी0एल0, सम्बन्धित लाभार्थी एवं ऋण प्रदानकर्ता बैंक के मध्य Escrow Account संचालित किया जायेगा।**

5. वर्तमान में मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह मार्च, 2023 तक रू0 4.49 प्रति यूनिट की दरें निर्धारित है।

6. योजना के अन्तर्गत योजना के पूर्व प्रावधानों के अतिरिक्त 50 कि0वॉ0 क्षमता हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 के0वी0ए0 एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसॅफार्मर से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मी0 Aerial Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मी0 Aerial Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लाण्ट (संयंत्र) आवंटित किये जायेंगे। तथा इस योजना में अनुमन्य सोलर पावर प्लान्ट की क्षमता के अनुसार Substation/Transformer/HT line से अधिकतम हवाई दूरी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग/यू0पी0सी0एल0 से निर्धारित मानक अनुसार सीमा में दूरी के अन्तर्गत ही परियोजना आवेदन प्राप्त किये जायेंगें।

7. इस योजना के संयोजन के लिए यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रदेश में स्थापित निर्धारित क्षमता के Transformer का GIS Map तैयार कर पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा 100 कि0वॉ0 एवं 200 कि0वॉ0 क्षमता की परियोजनाओं को HT line पर जोडा जायेगा। यू0पी0सी0एल0 द्वारा सब–स्टेशन/एच0टी0 लाईन/ट्रासफार्मर पर परियोजना संयोजन हेतु उपलब्ध क्षमता की सूचना ऑनलाईन एवं यथा–आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

8. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता UPCL की Technical Feasibility Report (TFR) एवं उपलब्ध जमीन के आधार पर प्रदान की जायेगी।

9. यदि Transformer/HT line के आसपास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक, आवेदन करते हैं तो ऐसी दशा में पहले आओ, पहले पाओ आधार पर (पोर्टल पर पूर्ण अभिलेखों सहित आवेदन तिथि अनुसार) परियोजना आवंटन किया जायेगा। यदि पोर्टल पर निर्धारित अभिलेख आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से जमा नहीं कराये जाते है तों निर्धारित अभिलेख पूर्ण रूप से जमा होने की तिथि को ही पात्रता तिथि के रूप में विचार किया जायेगा।

4. **"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभ :–**

1. इस योजना में उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

2. सम्बन्धित बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।

3. यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लान्ट लगाना चाहता है, तो उस लाभार्थी को भी प्रभावी

MSME पॉलिसी/योजना के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार अर्ह होने पर अनुमन्य अनुदान एवं लाभ प्राप्त होंगे।

4. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को भूमि की Sale Deed/Lease Deed भू–परिवर्तन पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी पर MSME नीति के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी ।

5. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को संयत्र स्थापित किये जाने वाली भूमि पर मधुमक्खी पालन एवं स्थानीय सब्जियों एवं जड़ी बूटियों को उगाने के लिये नियमानुसार संगत विभाग द्वारा बीज एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराये जायेगें, जिससे सम्बन्धित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ–2 बागवानी के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत्र विकसित कर सके।

6. उरेडा द्वारा योजना के लाभार्थियों को परियोजना की स्थापना के लिये फर्मों को सूचीबद्ध किया जायेगा, परन्तु यदि कोई लाभार्थी भारत सरकार के मानकों के आधार पर अनुमन्य गुणवत्तायुक्त सामग्री स्वंय चयनित संस्था के माध्यम से स्थापित करना चाहता है तो तद्नुसार प्रथमतः उक्त पर उरेडा का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उरेडा द्वारा सूचीबद्ध फर्मो के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी फर्म द्वारा एकाधिकार स्थापित न किया जाय। तात्पर्य इस सम्बन्ध में युक्तियुक्तता, मितव्ययता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" परियोजना की आर्थिकी :–**

1. पूर्व में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु रू0 40,000.00 प्रति कि0वा0 की दर से स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने के कारण 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट पर 50 हजार प्रति कि0वॉ0 की दर से व्यय सम्भावित है।

2. सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के उपरान्त MSME नीति के अनुसार अनुमन्य लाभ सीधे बैंक को प्राप्त हो सकेगा।

3. योजना के पूर्व प्रावधानों सहित 50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से वर्ष भर में अनुमानित 76000/152000/304000 यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा। उक्त विद्युत को वर्तमान निर्धारित विद्युत दर (4.49 प्रति यूनिट) की दर से यू0पी0सी0एल0 को विक्रय करने पर रू0 3,41,240/6,82,480/13,64,960 का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

4. उदाहरण के रूप में श्रेणी सी0 में आच्छादित क्षेत्र हेतु 30% अनुदान प्राप्त होने की दशा में ऋण खाते में अनुदान समायोजन के उपरान्त उक्त राजस्व में से ऋण की किश्त एवं रखरखाव खर्च को कम करने के उपरान्त 50/100/200 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से लगभग रू0 191556/378124/756248 की वार्षिक आय होना लक्षित है।

105650/2023

Sl.No.	Description	Value				
1	Capacity of Plant	20 KW	25 KW	50 KW	100 KW	200 KW
2	Estimated Project Cost (in Rupees)	1,000,000	1,250,000	2,500,000	5,000,000	10,000,000
3	Estimated Annual electricity Generation (KWh)	30,400	38,000	76,000	152,000	304,000
4	Loan %	70	70	70	70	70
5	Equity %	30	30	30	30	30
6	Loan Amount (in Rupees)	700,000	875,000	1,750,000	3,500,000	7,000,000
7	Equity amount (in Rupees)	300,000	375,000	750,000	1,500,000	3,000,000
8	Financial Support under MSME-2015 scheme (Ex-30%)	300,000	375,000	750,000	1,500,000	3,000,000
9	Electricity Tariff (in Rupees)	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
10	Annual Revenue from sale of electricity (in Rupees)	136,496	170,620	341,240	682,480	1,364,960
11	Annual Maintainance and lease /rent payment (in Rupees)	20,000	25,000	35,000	75,000	150,000
12	Loan Interest Rate (%)	8	8	8	8	8
13	Loan Duration (years)	15	15	15	15	15
14	Monthly EMI (in Rupees)	3,823	4,778	9,557	19,113	38,226
15	Total Monthly Income (in Rupees)	5,885	7,357	15,963	31,510	63,021
16	Total Monthly Income (in Rupees) (After loan payment)	9,708	12,135	25,520	50,623	101,247

On basis of Capital Subsidy 30% for Category 'C' areas under MSME policy adjusted in loan account and 8% rate of interest.

6. **"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु आवेदन/चयन प्रक्रिया :–**

1. इस योजना हेतु उद्योग विभाग से संचालित MSY-MSME Online Portal (https:://msy.uk.gov.in) पर उरेडा द्वारा आवेदन आमंत्रित/प्राप्त किये जायेंगे।
2. प्रत्येक वर्ष में जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण उरेडा द्वारा किया जायेगा जिससे कि सभी जनपदों में इस योजना का लाभ समान रूप से प्राप्त हो सके।
3. आवेदन के साथ प्रत्येक लाभार्थी द्वारा 50/100 कि0वा0 हेतु रू0 2000.00 एवं 200 कि0वा0 हेतु रू0 5000.00 आवेदन शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) के रूप में जमा किया जायेगा ।
4. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार "तकनीकी समिति" गठित की जायेगी :–
   - महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
   - [illegible]

- **जनपद के अग्रणी बैंक प्रबन्धक।**
- जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि।
- उरेडा के जनपदीय अधिकारी, (समन्वयक)।

5. तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

- जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी– अध्यक्ष।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र – सदस्य।
- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 – सदस्य।
- **जनपद के अग्रणी बैंक प्रबन्धक –सदस्य।**
- सम्बन्धित जनपद के सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक – सदस्य।
- वरि0 परि0 अधि0/परि0 अधि0, उरेडा – सदस्य सचिव।

6. यू0पी0सी0एल0 द्वारा Technical Feasibility Report उचित पाये जाने के उपरान्त परियोजना आवंटन किया जायेगा। आवंटी द्वारा तत्पश्चात यू0पी0सी0एल0 से PPA करने तथा परियोजना स्थापना हेतु Single Window Clearance (CAF) के माध्यम से सम्बन्धित विभागों से NOC प्राप्त किया जायेगा।

7. जनपद्वार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन हेतु उत्तराखण्ड के अन्य जनपद के स्थायी निवासी भी आवेदन कर सकेंगे, किन्तु किसी एक जनपद हेतु आवंटित परियोजना के सापेक्ष स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। अन्य जनपद में स्थापना हेतु इच्छुक होने पर आवेदनकर्ता/विकासकर्ता द्वारा अन्य जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन हेतु पुनः आवेदन/पंजीकरण किया जाना होगा (यदि लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन प्रक्रिया गतिमान हो)।

7\. <u>विविध</u> :–

1. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक समय–समय पर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन एवं एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मान्य होंगे।
2. लाभार्थी द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करायी जायेगी।
3. परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा। आवंटी/विकासकर्ता/आवेदक को

ऋण/भूमि स्वामित्व में कठिनाई होने के कारण परिवार के अन्य सदस्य को आवंटन Transfer करने पर उरेडा द्वारा विचार किया जा सकता है।

4. इस योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जिन तथा स्पष्टीकरण ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जायेगा।

5. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी, तथापि इस सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार उरेडा अभिकरण की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

6. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

7. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता को निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि0वॉ0 हेतु रू0 25,000/-, 100 कि0वॉ हेतु रू0 50,000/- एवं 200 कि0वॉ0 हेतु रू0 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमिशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

उचित कारण (Justifiable Reason) होने पर अतिरिक्त 06 माह तक (अधिकतम एक बार) समय विस्तार जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति पर उरेडा मुख्यालय द्वारा दिया जा सकेगा। Force majeure Condition में समय विस्तार हेतु 06 माह की सीमा को न रखते हुये Force majeure Condition समयावधि तक विचार किया जा सकता है। निर्धारित समय के अन्तर्गत परियोजना स्थापना/कमीशनिंग न होने पर आवंटन निरस्त कर सम्बन्धित की CPG जब्त कर ली जाएगी। परियोजना स्थापना/कमीशनिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित लाभार्थी की FD/CDR/TDR वापिस कर दी जायेगी।

8. प्रस्तावित योजना प्रभावी होने की तिथि से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित 20/25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लाण्ट, जो दि0–01 अप्रैल, 2022 के उपरान्त वृद्धि हुयी लागत के अनुसार स्थापित किये गये हैं, को भी रू0 50,000/- प्रति कि0वा0 के आधार पर (नवीन प्रस्तावित योजना के समान) मानते हुए MSY के अन्तर्गत अनुदान/मार्जिन मनी/ऋण अनुमन्य किया जाएगा।

9. लाभार्थी द्वारा परियोजना आवंटन पत्र, Power Purchase Agreement (PPA) की प्रति, परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख के साथ Single Window Clearence System पर Common Application Form (CAF) के माध्यम से आवेदन किया जायेगा।

105650/2023

Single Window Clearence System पर Common Application Form (CAF) की सैद्धांतिक सहमति के उपरान्त बैंक से ऋण प्राप्त करने, भू– परिवर्तन हेतु कार्यवाही करने तथा अनुमन्य अनुदान की स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग की MSME नीति के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. सैद्धांतिक सहमति के उपरान्त बैंक से ऋण प्राप्त करने, भू– परिवर्तन हेतु कार्यवाही करने तथा अनुमन्य अनुदान की स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग की MSME नीति के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लाभार्थी को आवेदन बैंक शाखा में प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।

11. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार मान्य होंगे।

12. ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना'' हेतु ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनपरी 2021 के अन्य प्रावधान यथावत प्रभावी होगें।

Application Flow chart

Application by Developer

↓

Scrutiny & forward by UREDA to UPCL for TFR
(Within 7 Days)

↓

TFR by UPCL & forward to UREDA
(Within 15 Days)

↓

If TFR Ok then Allotment (LoA) through Committee
(Within 15 Days)

↓

PPA between UPCL and applicant
(Within 10 Days)

↓

Forward to GMDIC by applicant with copy of PPA of applicant with UPCL
(Within 10 Days)

↓

Approval for capital subsidy as per MSME policy & forward to DCB by GM DIC

.3

ES1-MC/MC/68/2022-I-1-Energy Department-Part(3) (Computer No. 48044)

(Within 15 Days)

↓

Loan Approval by DCB (Within 10 Days)

↓

CoD of Solar Power Plant

(Within 12 months of LoA)

↓

Capital Subsidy disbursement by GM, DIC to loan account

(Within 2 months of CoD)

Signed by R. Meenakshi Sundaram
(आर० मीनाक्षी सुन्दरम) [illegible]5:11
सचिव।

संख्या– /I-1/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक एवं आयुक्त, उद्योग/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, उरेडा, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
14. निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Asingh

(अतुल कुमार सिंह)
उप सचिव
ऊर्जा विभाग एवं कौशल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–01
संख्या–1058/I-1/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740)
देहरादून : दिनांक : 06 जुलाई, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगारों, उद्यमियों, ऐसे प्रवासी जो कोविड–19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" को वित्तीय एवं भौतिक रूप से व्यावहारिक बनाये जाने के निमित्त ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–I/105650/2023 दिनांक 13 मार्च, 2023 द्वारा उक्त योजना में संशोधन करते हुए संशोधित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न स्तम्भ–1 के अनुसार उक्त अधिसूचना संख्या–I/105650/2023 दिनांक 13 मार्च, 2023 में निहित वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्राविधानों को प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
2. *मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु पात्रता:–*	2. *मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु पात्रता:–*
बिन्दु संख्या–3	**बिन्दु संख्या–3**
इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, (जिसमें क्षमता 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 में से किसी भी क्षमता के 01 ही संयत्र को संज्ञान में लेते हुये पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा), जिस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जायेगा कि सम्बन्धित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है। यद्यपि परिस्थितिनुसार उरेडा अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरांत एक ही परिवार को अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जा सकता है। यदि बिना उरेडा अभिकरण के	इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, (जिसमें क्षमता 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 में से किसी भी क्षमता के 01 ही संयत्र को संज्ञान में लेते हुये पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा), जिस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जायेगा कि सम्बन्धित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है। यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत

किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवेदन/आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी। **इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना पात्रता के लाभार्थी/आवंटी भी नये प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेगें।**	पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवेदन/आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी। **इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना पात्रता के लाभार्थी/आवंटी भी नये प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेगें।**
4. <u>*मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु ऋण एंव अनुमन्य लाभ*</u>	4. <u>*मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु ऋण एंव अनुमन्य लाभ*</u>
बिन्दु संख्या–06	**बिन्दु संख्या–06**
उरेडा द्वारा योजना के लाभार्थियों को परियोजना की स्थापना के लिए फर्मो को सूचीबद्व किया जायेगा, <u>परन्तु यदि कोई लाभार्थी भारत सरकार के मानकों के आधार पर अनुमन्य गुणवत्तायुक्त सामग्री स्वंय चयनित संस्था के माध्यम से स्थापित करना चाहता है तो तदनुसार प्रथमतः उक्त पर उरेडा का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।</u> उरेडा द्वारा सूचीबद्व फर्मो के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी फर्म द्वारा एकाधिकार स्थापित न किया जाय। तात्पर्य इस सम्बन्ध में युक्तियुक्तता, मितब्ययता एंव पारदर्शिता को सुनिष्चित किया जायेगा।	उरेडा द्वारा योजना के लाभार्थियों को परियोजना की स्थापना के लिए फर्मो को सूचीबद्व किया जायेगा। उरेडा द्वारा सूचीबद्व फर्मो के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी फर्म द्वारा एकाधिकार स्थापित न किया जाय। तात्पर्य इस सम्बन्ध में युक्तियुक्तता, मितव्ययता एंव पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जायेगा।
7. <u>*विविध*</u>	7. <u>*विविध*</u>
बिन्दु संख्या–05	**बिन्दु संख्या–05**
आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी, <u>तथापि इस सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार उरेडा अभिकरण की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।</u>	आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
बिन्दु संख्या–08	**बिन्दु संख्या–08**
प्रस्तावित योजना प्रभावी होने की तिथि से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित 20/25 कि0वॉ0 क्षमता	विलोपित।

के सोलर पावर प्लान्ट, जो दि0–01 अप्रैल, 2022 के उपरान्त वृद्वि हुयी लागत के अनुसार स्थापित किये गये है, को भी रू0 50,000/– प्रति कि0वॉ0 के आधार पर (नवीन प्रस्तावित योजना के समान) मानते हुए MSY के अन्तर्गत अनुदान/मार्जिन मनी/ऋण अनुमन्य किया जाएगा।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 05-07-2023 15:45:07

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित :</u>

1. अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढवाल मण्डल/कुमाऊॅ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक एवं आयुक्त, उद्योग/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0, देहरादून।
9. निदेशक, उरेडा, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
14. निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Vikram Singh Rana
Date: 06-07-2023 10:44:51

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव।

/135102/2023

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–01
संख्या–1058/I-1/2023-03/02/2020 (E-File No. 30740)
देहरादून : दिनांक : 06 जुलाई, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगारों, उद्यमियों, ऐसे प्रवासी जो कोविड–19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना'' को वित्तीय एवं भौतिक रूप से व्यावहारिक बनाये जाने के निमित्त ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–I/105650/2023 दिनांक 13 मार्च, 2023 द्वारा उक्त योजना में संशोधन करते हुए संशोधित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना'' को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न स्तम्भ–1 के अनुसार उक्त अधिसूचना संख्या–I/105650/2023 दिनांक 13 मार्च, 2023 में निहित वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्राविधानों को प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
2. <u>*मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना'' हेतु पात्रता:–*</u> **बिन्दु संख्या–3** इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, (जिसमें क्षमता 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 में से किसी भी क्षमता के 01 ही संयत्र को संज्ञान में लेते हुये पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा), जिस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जायेगा कि सम्बन्धित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है। <u>यद्यपि परिस्थितिनुसार उरेडा अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरांत एक ही परिवार को अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जा सकता है।</u> यदि बिना उरेडा अभिकरण के	2. <u>*मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना'' हेतु पात्रता:–*</u> **बिन्दु संख्या–3** इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है, (जिसमें क्षमता 20/25/50/100/200 कि0वॉ0 में से किसी भी क्षमता के 01 ही संयत्र को संज्ञान में लेते हुये पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा), जिस हेतु आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ ही लिया जायेगा कि सम्बन्धित आवेदक के परिवार से अन्य किसी सदस्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है। यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत

किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवेदन/आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी। **इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना पात्रता के लाभार्थी/आवंटी भी नये प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेगें।**

4. *मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु ऋण एंव अनुमन्य लाभ*

बिन्दु संख्या–06

उरेडा द्वारा योजना के लाभार्थियों को परियोजना की स्थापना के लिए फर्मो को सूचीबद्व किया जायेगा, परन्तु यदि कोई लाभार्थी भारत सरकार के मानकों के आधार पर अनुमन्य गुणवत्तायुक्त सामग्री स्वंय चयनित संस्था के माध्यम से स्थापित करना चाहता है तो तदनुसार प्रथमतः उक्त पर उरेडा का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उरेडा द्वारा सूचीबद्व फर्मो के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी फर्म द्वारा एकाधिकार स्थापित न किया जाय। तात्पर्य इस सम्बन्ध में युक्तियुक्तता, मितब्वययता एंव पारदर्शिता को सुनिष्चित किया जायेगा।

7. *विविध*

बिन्दु संख्या–05

आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी, तथापि इस सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार उरेडा अभिकरण की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

बिन्दु संख्या–08

प्रस्तावित योजना प्रभावी होने की तिथि से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित 20/25 कि0वॉ0 क्षमता

पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवेदन/आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी। **इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना पात्रता के लाभार्थी/आवंटी भी नये प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेगें।**

4. *मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" हेतु ऋण एंव अनुमन्य लाभ*

बिन्दु संख्या–06

उरेडा द्वारा योजना के लाभार्थियों को परियोजना की स्थापना के लिए फर्मो को सूचीबद्व किया जायेगा। उरेडा द्वारा सूचीबद्व फर्मो के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी फर्म द्वारा एकाधिकार स्थापित न किया जाय। तात्पर्य इस सम्बन्ध में युक्तियुक्तता, मितव्ययता एंव पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जायेगा।

7. *विविध*

बिन्दु संख्या–05

आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।

बिन्दु संख्या–08

विलोपित।

के सोलर पावर प्लान्ट, जो दि0–01 अप्रैल, 2022 के उपरान्त वृद्धि हुयी लागत के अनुसार स्थापित किये गये है, को भी रू0 50,000/– प्रति कि0वॉ0 के आधार पर (नवीन प्रस्तावित योजना के समान) मानते हुए MSY के अन्तर्गत अनुदान/मार्जिन मनी/ऋण अनुमन्य किया जाएगा।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 05-07-2023 15:45:07

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित :</u>

1. अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढवाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक एवं आयुक्त, उद्योग/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0, देहरादून।
9. निदेशक, उरेडा, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
14. निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

Signed by Vikram Singh Rana
आज्ञा से,
Date: 06-07-2023 10:44:51

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव।